न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- श्री गोविंद सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 136 / 2023
किस्म :-प्रार्थना-पत्र
दायर दिनांक : 10.07.2023 निर्णय दिनांक: 10.02.2025

अनवान

1. पारसमल पुत्र डालू जाति जाट
2. कोमल पुत्री माधवलाल जाति जाट
3. नरेश पुत्र डालू जाति जाट
4. भूरीबाई पत्नी स्व. डालू जाति जाट
5. शान्तिदेवी पत्नी स्व. माधवलाल जाति जाट
6. सुशीला पुत्री डालू जाति जाट

निवासीयान जसवन्तपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. अकबरअली पुत्र रमजान जाति लीलगर निवासी इयारा, तहसील सुजानगढ़, जिला चुरू
2. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमंद

..................विपक्षीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से :- अधिवक्ता किशनलाल शर्मा
विपक्षी सं. 01 की ओर से :- अधिवक्ता समुन्द्र सिंह

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जसवन्तपुरा, पटवार हल्का जिलाला, तहसील आमेट जिला राजसमंद में प्रार्थीगण की खातेदारी, आधिपत्य कृषि भूमियां स्थित है, खाता सं. नया 38 पुराना 47 के आराजी नं. 40 रकबा 1.7400 हैक्टेयर है। उपरोक्त वर्णित आराजी नं. के आगे सटमा विपक्षी सं. 1 की आराजी नं. 45 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, आराजी नं. 46 रकबा 1.0000 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण की उक्त आराजीयात के आगे सटमा आराजी नं. 53 रकबा 4.4000 हैक्टेयर किस्म बंझड, बारानी 3 एवं आराजी नं. 200 रकबा 3.4800 हैक्टेयर किस्म बंझड़ रास्ता स्थित है, जो प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी वर्षों से आराजी नं. 53 एवं 200 से होकर विपक्षीगण के आराजी नं. 45, 46 में से होकर अपनी आराजी नं. 40 में आते जाते रहे हैं। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण की कृषि भूमि में साधन, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने में काम आता है। विपक्षीगण के आराजी नं. 45, 46 में रास्ता अंकन नहीं होने से एवं विपक्षीगण की खातेदारी भूमि होने से विपक्षीगण ने आराजी नं. 45, 46 में

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

प्रार्थीगण के आने–जाने के रास्ते को बन्द कर दिया है। इसलिए प्रार्थी के अपनी खातेदारी आराजी नं. 40 पर आने–जाने का रास्ता बंद हो गया है, जिससे प्रार्थीगण को काफी समस्या आ रही है एवं प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे है। कृषि भूमियों पर सिंचाई के उपकरण, कृषि के साधन लाने–ले जाने एवं खेती बाडी भी नहीं कर पा रहे है। उक्त रास्ता 15 फीट चौड़ा होकर उक्त रास्ता काफी वर्षों से मौके पर मौजूद है, मात्र खातेदारी में विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से विपक्षीगण बाधा, रूकावट उत्पन्न कर रहे है। प्राथीगण आराजी सं. 45, 46 में से अपने आराजी नं. 40 में आने–जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता कायम करा कर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराना चाहता है, जो एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं। विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते को अवैध तरीके से बन्द कर दिया है, जिससे यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ रहा है। विपक्षी सं. 2 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया गया है, इनके विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गई है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नं. 40 रकबा 1.7400 हैक्टेयर पर आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 की आराजी नं. 45 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, आराजी नं. 46 रकबा 1.0000 हैक्टेयर खातेदारी भूमि में से प्रार्थीगण के आराजी नं. 40 में आने–जाने हेतु 15 फीट चौड़ाई में रास्ते की भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराए जाने का आदेश फरमाया जावे तथा प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने, रास्ते का उपयोग–उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट उत्पन्न नहीं करे एवं रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता समुन्द्रसिंह ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार सरदारगढ़ ने मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि आराजी नं. 40 में जाने हेतु राजस्व अभिलेख में कोई रासता दर्ज नहीं होने से रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ते हेतु आराजी नं. 45 की लम्बाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर रकबा 0.0032 एवं आराजी नं. 46 की लम्बाई 140 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर रकबा 0.0560 एवं आराजी नं. 54 की लम्बाई 104 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर रकबा 0.0416 हैक्टेयर है। प्रस्तावित किए गए रास्ते पर कोई पेड़–पौधे फसल निर्माण इत्यादि नहीं है। प्रस्तावित रास्ता आराजी नं. 200 चारागाह में मौके एवं नक्शे बने हुए रास्ते पर मिलता है। प्रार्थी द्वारा आराजी नं. 45, 46 में से ही रास्ता चाहा गया है, परंतु यह रास्ता अन्य किसी रास्ते से नहीं मिलने के कारण आराजी नं. 54 में भी रास्ता प्रस्तावित किया गया है, आराजी नं. 54 के खातेदार पक्षकार नहीं है। अतः जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना में विपक्षी की कृषि भूमि नहीं होकर आराजी नं. 54 रकबा 2.2200 बंझड़ जो बालु पिता नाथु जाति भील निवासी घोसुण्डी की कृषि भूमि स्थित है। विपक्षी की कृषि भूमि आराजी नं. 43, 44, 45, 46 में स्थित है, जिसमें से एक नाली आराजी नं. 45 में दर्ज है जिस नाली पर राजस्थान उच्च न्यायालय से अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण में जड़ पायतन नाला नाडी व अन्य भूमियों में किसी भी प्रकार का किस्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मौके पर बहाव क्षेत्र की नाली स्थित है। मौके पर प्रार्थी जो कि आराजी नं. 200 में से होकर आराजी नं. 54 में प्रवेश होकर आराजी नं. 40 में आ जा रहा है जबकि पटवार हल्का जिलोला द्वारा बनाए गए मौके पर्चा की रिपोर्ट में आराजी नं. 200 में से होते हुए आराजी नं. 54 में प्रवेश होकर आराजी नं. 46 में से होते हुए आराजी नं. 40 में जाने हेतु मौका पर्चा बनाया गया है, जबकि आराजी नं. 40 में जाने हेतु आराजी नं. 200 से आराजी नं. 54 पश्चिमी दक्षिणी की पाली पर होते हुए मौके पर पगडंडी स्थित है तथा प्रार्थी द्वारा जानबूझकर आराजी नं. 200 में से होते हुए 54 में प्रवेश होकर आराजी नं. 54 के खातेदार श्री बालू बील को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा मात्र विपक्षी को परेशान करने एवं बालू पिता नाथु भील को फायदा पहुंचाने प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि मौके पर्चे में वर्णित नक्शा ट्रेस में रास्ता स्पष्ट रूप से प्रस्तावित कर रहा है जो रास्ता आराजी नं. 54 पश्चिम दिशा में यानी की आराजी नं. 54 व 46 के मध्य भी अंकित की जा सकता है। उक्त रास्ता जो कि वैकल्पिक रास्ता नहीं होकर प्रार्थी के पास अन्य रास्ते उपलब्ध है। विपक्षी के खातेदारी आराजी नं. 45, 46 में से होकर रास्ता नहीं जाता है। विपक्षी की खातेदारी में नाली रिकार्ड में दर्ज होने के पश्चात् व पानी का बहाव होने के पश्चात् रास्ता दर्ज किया जाना संभव नहीं है। उक्त भूमि जो कि प्रार्थी को अलोटमेन्ट होने से पीढ़ी दर पीढ़ी रास्ता उपलब्ध नहीं है। विपक्षी द्वारा किसी भी प्रकार का रास्ता बंद नहीं किया गया मनगढन्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय से अब्दुल रहमान बनाम सरकार के स्थगन आदेश व मौके पर पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाए जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 की प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि जो प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी वर्षो से आराजी नं. 53 एवं 200 से होकर विपक्षीगण के आराजी नं. 45, 46 में से होकर अपनी आराजी नं. 40 में आते जाते रहे हैं। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण की कृषि भूमि में साधन, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने में काम आता है। विपक्षीगण के आराजी नं. 45, 46 में रास्ता अंकन नहीं होने से एवं विपक्षीगण की खातेदारी भूमि होने से विपक्षीगण ने आराजी नं. 45, 46 में प्रार्थीगण के आने–जाने के रास्ते को बन्द कर दिया है। इसलिए प्रार्थी के अपनी खातेदारी आराजी नं. 40 पर आने–जाने का रास्ता बंद हो गया है, जिससे प्रार्थीगण को काफी समस्या आ रही है एवं प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे है। उक्त रास्ता 15 फीट चौड़ा होकर उक्त रास्ता काफी

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी आमेट

वर्षों से मौके पर मौजूद है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नं. 40 रकबा 1.7400 हैक्टेयर पर आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 की आराजी नं. 45 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, आराजी नं. 46 रकबा 1.0000 हैक्टेयर खातेदारी भूमि में से प्रार्थीगण के आराजी नं. 40 में आने–जाने हेतु 15 फीट चौड़ाई में रास्ते की भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराए जाने का आदेश फरमाया जावे। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि विपक्षी की कृषि भूमि आराजी नं. 43, 44, 45, 46 में स्थित है, जिसमें से एक नाली आराजी नं. 45 में दर्ज है जिस नाली पर राजस्थान उच्च न्यायालय से अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण में जड़ पायतन नाला नाडी व अन्य भूमियों में किसी भी प्रकार का किस्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।प्रार्थी द्वारा जानबूझकर आराजी नं. 200 में से होते हुए 54 में प्रवेश होकर आराजी नं. 54 के खातेदार श्री बालू बील को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा मात्र विपक्षी को परेशान करने एवं बालू पिता नाथु भील को फायदा पहुंचाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। रास्ता आराजी नं. 54 पश्चिम दिशा में यानी की आराजी नं. 54 व 46 के मध्य भी अंकित किया जा सकता है। विपक्षी के खातेदारी आराजी नं. 45, 46 में से होकर रास्ता नहीं जाता है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय से अब्दुल रहमान बनाम सरकार के स्थगन आदेश व मौके पर पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाए जाने का आदेश प्रदान करावे।

दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर तहसीलदार आमेट की मौका रिपोर्ट से जाहिर है कि प्रार्थीगण मौके पर आराजी नं. 40 भूमि मे आने–जाने हेतु राजस्व रेकार्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है, न ही उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 40 मे आने–जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नं. 45 की लम्बाई 08 मीटर एवं चौड़ाई 04 मीटर रकबा 0.0032 एवं आराजी नं. 46 की लम्बाई 140 मीटर एवं चौड़ाई 04 मीटर रकबा 0.0560 रास्ता दिया जाना उचित है। आराजी नम्बर 54 के खातेदार को पक्षकार नही बनाने से रास्ता दिया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम जसवन्तपुरा, पटवार हल्का जिलोला, तहसील आमेट जिला राजसमंद में प्रार्थी के खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नं. 40 में आने–जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 45 रकबा 0.2000 हैक्टेयर में से लम्बाई 08 मीटर एवं चौड़ाई 04 मीटर रकबा 0.0032 हैक्टेयर भूमि की **वर्तमान डी.एल.सी. दर 277000/– प्रति हैक्टेयर के अनुसार राशि 866/– की दुगुनी राशि 1732/– रूपये** व आराजी नम्बर 46 रकबा 1.0000 हैक्टेयर में से लम्बाई 140 मीटर एवं चौड़ाई 04 मीटर रकबा 0.0560 हैक्टेयर हैक्टेयर भूमि की **वर्तमान डी.एल.**

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

सी. दर 277000/– प्रति हैक्टेयर के अनुसार राशि 15512/– की दुगुनी राशि 31024/– कुल राशि 32756/– रूपये तहसील कार्यालय में जमा करावें। उक्त राशि जमा कराने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में तथा नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किया जावें तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)